न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 22/16 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00055

उनवान

1. श्याम सिंह आयु 80 साल पिसरान झावी जाति जाटान निवासीयान ग्राम जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. कलुआ आयु 75 साल
3. नाहर सिंह आयु 69 साल मृतक
   - 3/1. अंगूरी देवी पत्नि नाहर सिंह
   - 3/2. विजय सिंह पुत्र नाहर सिंह
   - 3/3. मुकेश पुत्र नाहर सिंह
   - 3/4. शशीपाल पुत्र नाहर सिंह
   - 3/5. दिनेश पुत्र नाहर सिंह
   - 3/6. चिकेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह
   - 3/7. वीरेन्द्र पुत्र नाहर सिंह

   ग्राम जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कल्यान सिंह आयु 85 साल मृतक पिसरान हेती जाति जाटान निवासी जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 1/1. अग्रेज उर्फ सुरेश
   - 1/2. रूपेश पुत्री सुभाष
   - 1/3. रजनी पुत्री सुभाष
   - 1/4. संगीता पुत्री सुभाष
   - 1/5. सिद्धार्थ पुत्र सुभाष
   - 1/6. गोखलेश पुत्र सुभाष
2. अमर सिंह आयु 55 साल मृतक
   - 2/1. फूलवती पत्नि अमर सिंह
   - 2/2. आदर्श पुत्र अमर सिंह
   - 2/3.उर्मिला पुत्री अमर सिंह
   - 2/4. कल्पना पुत्री अमर सिंह
   - 2/5. पूनम पुत्र अमर सिंह

   निवासीयान ग्राम जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 12.06.2012 उनवानी कल्यान सिंह बनाम श्याम सिंह मु0न0 66/12

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 19.06.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 12.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नंम्बर 90 रकवा 03–12 बीघा वाके ग्राम जयचौली तहसील रूपवास में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी/रैस्पो0 के पूर्वज हेती की निष्फ भाग की पुश्तैनी आराजी है। अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट का प्रार्थी/रैस्पो0 के निष्फ भाग पर कोई कब्जा काश्त व संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु विवादित आराजी के निष्फ भाग के इंद्राज राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपने नाम करा लिये। जबकि विवादित आराजी पर उनका आदिनांक तक कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर अप्रार्थी अपीलाण्ट विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश अप्रार्थी/अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी आरम्भ से ही बच्चू सिंह पुत्र हरिराम 1/2 भाग व श्याम सिंह, कलुआ पुत्रान झाबी 1/2 हिस्से में दर्ज रही है। रैस्पो0 के विवादित आराजी पर पूर्व में यदि कोई इन्द्राज शिकमी के रहे हैं तो वह समाप्त हो चुके हैं। विवादित आराजी के अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार हैं एवं एक रिकार्डेड खातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी पूर्व में सहखातेदारी में दर्ज रही है एवं एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार का शिकमी नहीं हो सकता है। अतः शिकमी के इंद्राज प्रारम्भ से ही शून्य हैं। यदि शिकमी के आधार पर कोई हक बनता

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भी है तो विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होंगें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है एवं नियमानुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील साधारणतयः पोषणीय नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2012 का है एवं अपील दिनांक 2016 में प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। विवादित आराजी में संवत 2017 से ही रैस्पो0 के पूर्वज काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई कब्जा काश्त नहीं है। संवत 2037–40 की जमाबन्दी में काश्त झाबी की अंकित है। अपीलाण्ट की कभी काश्त नहीं रही एवं ना ही किसी अभिलेख में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। इसमें दोनों पक्षो को कोई हानि नहीं हो रही है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के तहत एक माह में निस्तारित नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में पोषणीय रहती है। मियाद के संबंध में उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण बहस की स्टेज पर चल रहा था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण होना संभव नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की आड में व पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त होने का लाभ लेते हुये रैस्पो0 जबरन अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमदा थे। इसलिये अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करनी पडी। अतः मियाद के बिन्दु को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में सन् 2012 में दर्ज रजिस्टर हुआ एंव अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को सन् 2016 तक अंतिम तौर पर निस्तारण नहीं किया। जबकि आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के तहत प्रकरण का अधिकतम् एक माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त तय समय सीमा निकलने के उपरान्त अपील प्रस्तुत की है, जो न्यायालय हाजा में संधारणीय है। जहॉ तक मियाद का प्रश्न है। अनेको न्यायिक नजीरो में मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु सिद्धान्त प्रतिपादित हुये हैं। अतः हम मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा कर, अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना ज्यादा न्यायोचित समझते हैं।

7. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है, जो अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया गया है। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो चुके थे एवं पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत थी। परन्तु पीठासीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित नहीं हो सका। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा में तलव हो गयी। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर आरम्भ से ही अपना कब्जा काश्त बताते हैं, रैस्पो0 इसका खण्डन करते हुये विवादित आराजी पर स्वयं के पूर्वजो के शिकमी के इंद्राज बताते हुये, खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करते हैं। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। परन्तु उक्त आदेश एक पक्षीय आदेश है। अतः हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकतम एक माह में अंतिम निस्तारण करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अधिकतम एक माह में विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है, तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.07.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर